FORM No. III

फर्द अहकाम(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

प्रार्थना पत्र/56/2023 दायर दिनांक 5/04/23

प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

द्वारकीबाई पुत्री मांगीलाल जाति बागरी नि0 धरोनिया तहसील पिड़ावा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिषियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04/5/23	प्रार्थीया द्वारकीबाई पुत्री मांगीलाल जाति बागरी नि0 धरोनिया तहसील पिड़ावा द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम खेजडिया तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 89 रकबा 1.2646 हैक्टेयर भूमि मे दर्ज वल्दीयत को शुद्वि करने का निवेदन किया प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार पिड़ावा ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि तहसीलदार पिड़ावा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेजडिया तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 89 रकबा 1.2646 हैक्टेयर भूमि मे दर्ज वल्दीयत मे संशोधन करवाने हेतु प्रा0 पत्र प्राप्त हुआ। उक्त भूमि प्रार्थीया द्वारा बैचान पत्र से क्रयशुदा हैं, जिसमे प्रार्थीया का नाम द्वारकीबाई पत्नि मगीलाल जाति बागरी नि0 धरोनिया दर्ज हैं जो कि नामा0 संख्या 1382 से वर्तमान मे जमाबन्दी मे अमल हुआ हैं। मुताबिक पंजीयन दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकार्ड सही हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज मे शुद्वि के उपरान्त ही जमाबन्दी मे शुद्वि किया जाना संभव है, परन्तु प्रार्थीया पंजीयन दस्तावेज में धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत शुद्वि चाह रही है, जो उचित नहीं है। अतः प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत नही आने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शामिल होकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.04.06 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner